निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 38/2024
दायरा दिनांकः— 13.06.2024
निर्णय दिनांकः— 27.8.25

उनवान

1. नारायणलाल आयु 65 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
2. मिश्रीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
3. रामप्रसाद आयु 69 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
4. रामस्वरूप आयु 67 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
5. ईश्वरलाल आयु 75 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
6. धन्नालाल आयु 70 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
7. तेजराम आयु 62 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
8. रमेश आयु 50 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
9. चम्पालाल आयु 45 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी
10. मोरपाल आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति चमार निवासी मुकुन्दखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. हरिराम आयु 60 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति गर्जर निवासी ग्राम अहमदपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 एवं

निर्णय दिनांकः— 27.8.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री रामनिवास वैष्णव — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम हांस्याखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमि खसरा नम्बर 211/6 रकबा 0.8852 है0 भूमि स्थित है। यह भूमि वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी क्रम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। भूमि को इस प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थीगण कमांक 1 ता 5 के पिताजी तथा प्रार्थी कम 6 ता 10 के दादाजी का नाम प्रभूलाल है। प्रभूलाल का देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण उसके

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त भूमि हमेशा से प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभावशील हुआ, उस समय भी यह भूमि प्रार्थीगण कमांक 1 ता 5 के पिता तथा प्रार्थीगण क्रमांक 6 ता 10 के दादाजी प्रभूलाल के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी वादग्रस्त भूमि पर प्रभूलाल के साथ–साथ तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अभी तक निरंतर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू होते समय वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज प्रभूलाल के कब्जे काश्त में चली आने के कारण वह कानूनन वादग्रस्त भूमि के खातेदार कृषक हो गए थे। यह कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में प्रभूलाल के समय से निरंतर बिना किसी बाधा के चली आ रही है। जिसे 60 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। प्रार्थीगण को विपरीत आधिपत्य द्वारा खातेदारी अधिकार (Adverse possession) प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थी कमांक 1 का कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमि पर कभी भी नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि 60 वर्षों से निरंतर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम 1 के खातेदारी अधिकार राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 63 (iv) के अंतर्गत समाप्त हो चुके हैं। इसलिए प्रार्थीगण स्वयं को वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित कराकर इसे अपने नाम खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है। अप्रार्थी कम 1 ने वादग्रस्त भूमि पर दिनांक २०/5/25 को बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया। जिसे प्रार्थीगण ने सफल नहीं होने दिया। किंतु अप्रार्थी कमांक 1 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह वादग्रस्त भूमि पर से प्रार्थीगण को बेदखल करके जबरन बलपूर्वक कब्जा करके ही मानेगा। यदि अप्रार्थी कमांक 1 ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करके जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को काफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति सर्वथा असंभव है। प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हांस्याखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 86/83 पेश की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब में बताया की वाके माल हास्याखेडी तहसील छचबडा जिला बारां राजस्थान मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 211/6 रकबा 0.8852 हैक्टयर पर अप्रार्थी हरिराम आत्मज रामकिशन जाति गुर्जर निवासी अहमदपुरा खातेदार कृषक है, जिस पर अप्रार्थी हरिराम सेटलमेन्ट के समय से ही स्वामित्व कब्जा एंव मालिकाना अधिकार है। अप्रार्थी हरिराम ने ही उपरोक्त वर्णित आराजी को कठिन परिश्रम मेहनत मजदूरी करके एंव पैसा खर्च कर काबिल काश्त किया। जिस पर आज तक मुझे अप्रार्थी हरिराम का ही कब्जा चला आ रहा है। जिसका खातेदार कृषक अप्रार्थी हरिराम ही है। इसी आधार पर आराजी को अर्सा लगभग 30–35 वर्षों पूर्व राज्य सरकार के द्वारा अप्रार्थी को आवंटन किया तब ही से ही बतौर खातेदार अप्रार्थी आराजी पर काबिज है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के लोग है। एक ही परिवार के है एक ही पिता की संतान है बड़ा परिवार है। जिसका गैर कानूनी तौर पर लाभ अर्जित कर वादीगण अप्रार्थी को बलपूर्वक आराजी खसरा नम्बर 211/6 रकबा 0.8852 हैक्टयर वाके माल हास्याखेडी से बेदखल कर अपना कब्जा स्थापित करना चाहते है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी तथा अन्य पडौसी खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सम्बन्ध मे उत्पन्न विवाद के कम में प्रार्थीगण के द्वारा गैर जरूरी तौर पर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचकर आराजी पर कब्जा करने के उद्देश्य से यह झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थीगण का आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। ना ही प्रार्थीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। आराजी के परिपेक्ष मे प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थी हरिराम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र बउनवान हरिराम बनाम रामस्वरूप वगै० अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अप्रार्थी को प्रदत्त प्रावधानो के अनुसार विशेष हर्जा खर्चा प्रार्थीगण से दिलाया जावे। अप्रार्थी हरिराम वाद ग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है। आराजी पर अप्रार्थी हरिराम को स्वामित्व कब्जा एंव मालिकाना अधि कार प्राप्त है। जिस पर वर्तमान में भी हरिराम की फसल मौजूद है। एतद द्वारा प्रकरण बहक प्राइमाफेसाई हरिराम के पक्ष में है जिसका सहायता सन्तुलन बहक अप्रार्थी हरिराम है। एतद द्वारा अप्रार्थी हरिराम के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाना अवैध एंव गैर कानूनी है। हरिराम को अपरिमित क्षति होने की संम्भावना है। जिसकी आर्थिक रूप से पूर्ति होना असम्भव है। यदि प्रार्थीगण के द्वारा बलपूर्वक प्रार्थी को बेदखल कर अपना कब्जा स्थापित कर दिया तो अप्रार्थी हरिराम को अपरिमित क्षति होगी। गैर जरूरी मुकदमे बाजी मे उलझकर जेरबार होना पड़ेगा।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हांस्याखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जो वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता एवं 6 ता 10 के दादा प्रभूलाल थें। प्रभूलाल स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण उसके उत्तराधिकारी है विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में चली आ रही है। राजस्थाल काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभावशाली हुआ तभी से प्रार्थीगण के एवं उनके दादाजी प्रभूलाल के कब्जे काश्त में चली आ रही थी प्रभूलाल की मृत्यु के बाद विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वर्तमान में भी विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। विवादित भूमि पर लगभग 60 वर्षो से कब्जा होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थी प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जावें। एवं अप्राथी को पाबन्द फरमाया जावें। की प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी अप्रार्थी हरिराम पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी अहमदपुरा खातेदार कृषक है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी हरिराम का ही सेटलमेन्ट के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया जिसका खातेदार कृषक अप्रार्थी है। उक्त भूमि अप्रार्थी हरिराम को 30–35 वर्ष पूर्व आवटंन हुई थी आवटंन के बाद से ही अप्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल कर जबरन अपना कब्जा करना चाहतें है। प्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण को विवादित भूमि से अप्रार्थी को बेदखल करने का कोई अधिकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा कर लिया तो अप्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 86/83 ग्राम हास्याखेडी में अप्रार्थी क्रम 1 हरिराम पुत्र रामकिशन बतौर खातेदार दर्ज है दोनो पक्षो द्वारा अपना–अपना कब्जा होना अंकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किये गये है चूकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण से सम्भव होगा तब तक रिकाडेर्ड खातेदार नही होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट में चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा